अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।

धारा-145 द0प्र0सं0, वाद सं0- 1049/ 11
102/ 12
51/ 13

चन्द्रशेखर शर्मा उर्फ चन्देश्वर शर्मा

बनाम

गोविन्द शर्मा

आ दे श

31/ 01/ 13

उभय पक्ष को सुना । यह कार्यवाही धारा- 144 द0 प्र0 सं0 से परिवर्तित है, प्रथम पक्ष द्वारा धारा- 146 (1) द0 प्र0 सं0 के तहत आवेदन दायर कर प्रश्नगत भूमि को अठैच करने का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् उक्त आवेदन के आलोक में थानाध्यक्ष, रामपुर चौरम एवं अंचल अधिकारी, अरवल से जाँच प्रतिवेदन की माँग किया गया । थानाध्यक्ष, रामपुर चौरम से डी0 आर0 नं0- 958/ 12, दिनांक-17/12/12 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । प्रतिवेदन में यह स्पष्ट वर्णित है कि प्रश्नगत खाता व खेसरा की जमीन पर प्रथम पक्ष का कब्जा एवं दखल कभी नहीं रहा

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

है ।

द्वितीय पक्ष हीं प्रश्नगत भूमि पर धान का फसल लगाया है तथा बँटवारा के बाद से द्वितीय पक्ष का हीं कब्जा व दखल रहा है । अंचल अधिकारी, अरवल का पत्रांक- 133 / सा0, दिनांक- 25/ 2/ 13 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें भी उल्लेख है कि आपसी बँटवारा के द्वारा मौजा- इटवाँ की भूमि पर श्री गोविन्द शर्मा वगैरह जोत- कोड़- आबाद वो दखल- कब्जा में है ।

अत: प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्ष एक हीं वंश के सदस्य हैं तथा द्वितीय पक्ष के पिता के जीवन-काल में हीं आपसी बँटवारा के बाद बँटे हुए भूमि पर द्वितीय पक्ष दखल- काबिज हैं । दिनांक- 13/ 01/ 1989 को स्व0 अवधेश्वर शर्मा और चन्द्रशेखर शर्मा के बीच पंचायती भी हुआ था । पंचायती की छाया प्रति प्रस्तुत किये हैं।

अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

जिसमें भी उल्लेख है कि गोविन्द शर्मा, मौजा-इटवां की भूमि पर रहेंगे तथा चन्देश्वर शर्मा तरौती की भूमि पर रहेंगे ।

इस प्रकार ऐसी परिस्थीत में धारा- 146(1) द0 प्र0 सं0 की कारवाई या वाद में सन्निहित भूमि पर वाद की कार्यवाही चारू रखना विधि- सम्मत प्रतीत नहीं होता है ।

तदनुसार वाद की सम्पूर्ण कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश से उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को अवगत करावें ।

लेखापित एवं संशोधित

31/1/13

कार्य0 दण्डाधिकारी,
अरवल ।

31/1/13

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
अरवल ।

89 9/4/13